राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.10(18)नविवि/3/2012 दिनांक : 27 DEC 2022

## अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम–1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में विभागीय अधिसूचना दिनांक 24.09.2013 के द्वारा उदयपुर मास्टर प्लान–2031 को अधिसूचित किया जा चुका है। नगर विकास न्यास, उदयपुर की सामान्य बैठक दिनांक 23.11.2021, 24.11.2021, 24.12.2021, 11.01.2022, 02.02.2022 व दिनांक 28.10.2022 में न्यास क्षेत्राधिकार में तैयार किये गये जोनल डवलपमेंट प्लान के संबध में न्यास ट्रस्ट द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जोनल डवलपमेंट प्लान में मौका स्थिति, विभिन्न अधिसूचनाओं, पूर्व में जारी स्वीकृतियो इत्यादि कारणों से हुए संशोधनों के मध्यनजर मास्टर प्लान–2031 में संशोधन किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्तानुसार न्यास की बैठकों में लिये गये निर्णयों के प्रस्तावानुसार उदयपुर मास्टर प्लान–2031 (संशोधित) में प्रस्तावित संशोधनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

एस.बी. सिविल रीट पीटिशन 16731/2021 माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित अन्तरिम आदेश से प्रभावित भूमि को यथावत रखते हुए तथा इस भूमि का भू–उपयोग निर्धारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

उक्त उदयपुर मास्टर प्लान–2031 (संशोधित) की प्रति का अवलोकन नगर विकास न्यास, उदयपुर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. जिला कलक्टर, उदयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, उदयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
9. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक ....................में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

उप नगर नियोजक